उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-74/2020/944/92-2-20-96एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 10 जून 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआइयू-एटा में कार्यरत रहने के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृति हेतु 2500 किमी0 का डी0पी0आर0 गठन किये जाने के संदर्भ में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा समय-समय पर स्मृति कराये जाने एवं समीक्षा बैठक में निर्देशित किये जाने के उपरांत भी वांछित डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही समय से सम्पन्न न कराये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-09/2020/70/92-2-20-96एम/2019 दिनांक 15.01.2020 द्वारा श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-एटा को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र सं0-02/ग्रा0अ0वि0 /जांच/पत्रा0सं0-185/19-20 दिनांक 20.04.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री अग्रवाल पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप स्थापित होना नही पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री अग्रवाल पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप स्थापित होना नही पाया गया। अतएव श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-एटा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-74 /2020/944(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री संजय अग्रवाल, अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, पी0आई0यू0-एटा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in